

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 436/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

जरसु देवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी गढ़वालों का खेड़ा तहसील फूलियाकलां

प्रार्थिया

बनाम

1. कैलाश पिता देबी कुम्हार निवासी गढ़वालों का खेड़ा तह० फूलियाकलां
2. महावीर पिता अम्बालाल कुम्हार निवासी गढ़वालों का खेड़ा तह० फूलियाकलां
3. धीसा पिता नन्दा कुमावत नि० गढ़वालों का खेड़ा तह० फूलियाकलां
4. बालु पिता प्रताप रेगर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 15.07.2016

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ग्राम सांगरिया प०म० सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 293 के आराजी नम्बर 2972 रकबा 0.58 है०, आ०न० 2983 रकबा 0.63 है० आराजी कुल कित्ता 02 रकबा 1.21 है० का प्रार्थिया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जनाबन्दी ग्राम सांगरिया संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्षों में आराजीयात के प्रार्थिया खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

जाकर मौजा सांगरिया मे स्थित प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 02 रकबा 1.21 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 250/- रुपये (अधारे दो सौ/पचास रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थिया से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.07.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(एगोपी नायक)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि गुताविक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा
फूलियाकला

AD